(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) ...

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 199/2023

वादी

1. पाबूसिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील डेह

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मदनसिंह पुत्र पन्नेसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह
4. मंगेजकंवर पत्नी विरेन्द्रसिंह जातियान राजपूत निवासीगण छापड़ा तहसील डेह
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1 कि ओर से श्री गोविन्दराम ढाका एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट

–:: निर्णय ::– दिनांक 15/10/24

वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बढेर कि पुश्तैनी भूमि मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 201 रकबा 14.4068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.1700 हैक्टेयर आये हुए है। पक्षकारान ने उक्त भूमियों का मौखिक बंटवाड़ा कर जो निम्नानुसार है। वादी पाबूसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 मदनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 201 रकबा 14.4068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.1700 हैक्टेयर यथावत् रखे गये हैं। प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 मंगेजकंवर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है। मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.0321 हैक्टेयर रास्ता माफिक नजरी नक्शानुसार राजस्थान सरकार के नाम रखा गया है। माफिक बंट अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने एवं किसी प्रकार कि सरकारी सहायता नहीं मिलने के कारण यह वाद पेश किया जा रहा है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार डेह को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार डेह को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर अधिवक्ता श्री रामपकाश बैन्दा ने वकालतनाम मय राजीनामा व ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की तरफ से

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजीनामा इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा छापड़ा के खाता संख्या 685 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से राजीनामा इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार डेह को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी पाबूसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 मदनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 201 रकबा 14.4068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.1700 हैक्टेयर यथावत् रखे जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 मंगेजकंवर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
6. मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.0321 हैक्टेयर रास्ता माफिक नजरी नक्शानुसार राजस्थान सरकार के पक्ष में घोषित किया जाता हैं।
7. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि ओदश का भाग रहेगा।
8. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेाग। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 15/10/14 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner

डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 199/2023

वादी

1. पाबूसिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील डेह

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मदनसिंह पुत्र पन्नेसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह
4. मंगेजकंवर पत्नी विरेन्द्रसिंह जातियान राजपूत निवासीगण छापड़ा तहसील डेह
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1 कि ओर से श्री गोविन्दराम ढाका एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट

–:: डिक्री आदेश ::–

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी पाबूसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 मदनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 201 रकबा 14.4068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.1700 हैक्टेयर यथावत् रखे जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 राजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 मंगेजकंवर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.1073 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
6. मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 260 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.0321 हैक्टेयर रास्ता माफिक नजरी नक्शानुसार राजस्थान सरकार के पक्ष में घोषित किया जाता हैं।
7. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि ओदश का भाग रहेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

(एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

दीगण

बनाम

प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

मदनसिंह वगैराह

मुकदमा नं. 199/2023

उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

आज की तारीख लीज – मुबलिक – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/10/24 को जारी किया गया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner